"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 573] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ-1-85/2014/18 (1).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद सूरजपुर जिला- सूरजपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	कबीर दास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	महात्मा गांधी वार्ड
		10	चन्द्र शेखर आजाद वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	09	गुरूघासी दास वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
		16	वल्लभ भाई पटेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	03	पंचमंदिर वार्ड
		16	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
7.	महिला वर्ग	02	मौलाना आजाद वार्ड
		15	पं. दीन दयाल उपाध्याय वार्ड
		18	डॉ. अम्बेडकर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–85/2014/18 (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–85/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-85/2014/18(1).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council Surajpur distt. Surajpur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	13	Kabir Das Ward.
2.	Scheduled Caste (Female)	NIL	Nil
3.	Scheduled Tribes	01	Mahatma Gandhi Ward
		10	Chandra Shekhar Azad Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Scheduled Tribes (Female)	09	Gurughasidas Ward
5.	Other Backward Class	04	Dr. Shyama Prasad Mukharji Ward
		16	Vallabh Bhai Ward
6.	Other Backward Class (Female)	03	Panchmandir Ward
		16	Jawahar Lal Nehru Ward
7.	Female	02	Maulana Azad Ward
		15	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
		18	Ambedkar Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–85/2014/18 (2).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत विश्रामपुर जिला–सूरजपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	04	महात्मा गांधी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	03	अम्बेडकर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	02	गुरूघासीदास वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
		06	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
		09	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	भगत सिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	महिला वर्ग	07	छत्रपति शिवाजी वार्ड
		10	महाराणा प्रताप वार्ड
		12	इंदिरा गांधी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–85 / 2014 / 18 (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–85 / 2014 / 18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-85/2014/18(2).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Vishrampur distt. Surajpur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	04	Mahatma Gandhi Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	NIL	Nil
3.	Scheduled Tribes	03	Ambedkar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	02	Gurughasidas Ward
5.	Other Backward Class	05	Ravindranath Taigore Ward
		06	Swami Vivekanand Ward
		09	Jawahar Lal Nehru Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Bhagat Singh Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Female	07	Chatrapati Shivaji Ward
		10	Maharana Pratap Ward
		12	Indira Gandhi Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–85/2014/18 (3).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत जरही जिला– सूरजपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	08	इंदिरा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		11	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	01	महात्मा गांधी वार्ड
		12	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
7.	महिला वर्ग	04	मदर टेरेसा वार्ड
		07	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
		09	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–85/2014/18 (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–85/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-85/2014/18(3).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Jarhi, distt. Surajpur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	14	Dr. Rajendra Prasad Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	NIL	Nil
3.	Scheduled Tribes	08	Indira Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	NIL	Nil
5.	Other Backward Class	06	Jawahar Lal Nehru Ward
		11	Swami Vivekanand Ward
6.	Other Backward Class (Female)	01	Mahatma Gandhi Ward
		12	Maharani Laxmi Bai Ward
7.	Female	04	Mother Teresa Ward
		07	Dr. Ambedkar Ward
		09	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–85/2014/18 (4).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत भटगांव जिला– सूरजपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	04	चन्द्रषेखर आजाद वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	08	इंदिरा गांधी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	राजमोहनी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	05	सुभाष चंद बोस वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
		10	राममनोहर लोहिया वार्ड
		14	मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
7.	महिला वर्ग	09	वीर सावरकर वार्ड
		11	लरंग साय वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–85/2014/18 (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–85/2014/18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-85/2014/18(4).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Co. Bhatgaon distt. Surajpur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	04	Chandra Shekhar Azad Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	08	Indira Gandhi Ward
3.	Scheduled Tribes	02	Rajmohani Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	05	Shubhash Chandra Bose Ward
5.	Other Backward Class	03	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
		10	Rammanohar Lohiya Ward
		14	Maulana Abdul Kalam Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
7.	Female	09	Vir Savarkar Ward
		11	Larang Saay Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–85/2014/18 (5).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत प्रतापपुर जिला– सूरजपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति वर्ग	08	डॉ. अम्बेडकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	शास्त्री वार्ड
		14	रानी लक्ष्मीवाई वार्ड
		15	लाला लाजपत राय वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	07	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		13	वापू वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	नेहरू वार्ड
		11	भैरव मंदिर वार्ड
		12	सुभाष चन्द्र वोस वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	महामाया वार्ड
7.	महिला वर्ग	01	सूर्य मंदिर वार्ड
		05	डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-85/2014/18 (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-85/2014/18 (5) दिनांक 07-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-85/2014/18(5).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Co. Pratappur distt. Surajpur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under

section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	08	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	NIL	Nil
3.	Scheduled Tribes	02	Shashtri Ward
		14	Rani Laxmi Bai Ward
		15	Lala Lajpar Roy Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	07	Dr. Rajendra Prasad Ward
		13	Bapu Ward
5.	Other Backward Class	03	Nehru Ward
		11	Bhairav Mandir Ward
		12	Shubhash Chandra Bose Ward
6.	Other Backward Class (Female)	04	Mahamaya Ward
7.	Female	01	Surya Mandir Ward
		05	Dr. Zakir Hussain Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.